भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2314
07 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभार्थी

2314. श्री संजय सिंहः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एमएसएमई और बड़ी कंपनियों की संख्या सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के तहत अनुमोदित लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या योजना के कुल परिव्यय और अब तक संवितरित प्रोत्साहन राशि के बीच कोई अंतर है;
(ग) एमएसएमई सहित योजना के तहत अब तक संवितरित कुल प्रोत्साहन राशि कितनी है;
(घ) निर्धारित रोज़गार लक्ष्य के सापेक्ष योजना के तहत सृजित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है; और
(ङ) वर्ष 2021 से लेकर आज की तिथि तक योजना के तहत लाभार्थी कंपनियों द्वारा निर्मित कुल अतिरिक्त प्रसंस्करण क्षमता, हासिल की गई अतिरिक्त बिक्री और सृजित निर्यात का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के अंतर्गत कुल 163 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। 163 आवेदकों में से 68 आवेदक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) श्रेणी के हैं। इसके अलावा, मुख्य स्वीकृत आवेदकों की 40 अनुबंध विनिर्माण इकाइयाँ भी एमएसएमई से हैं। 163 आवेदकों में से, कुल 95 बड़ी संस्थाओं को योजना के अंतर्गत मंजूरी दी गई है।

(ख) और (ग): योजना का स्वीकृत परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये है और अब तक कुल 3271.44 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। योजना को वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2026-27 की अवधि के दौरान लागू किया जा रहा है और योजना अवधि के अंतर्गत प्रोत्साहन वितरण एक निरंतर प्रक्रिया है।

(घ): योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवेदकों द्वारा लगभग 3.35 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर पैदा किए गए हैं। रोज़गार का राज्य-वार डेटा नहीं रखा जाता है। श्रेणी-वार रोज़गार सृजन इस प्रकार है :

खंड/श्रेणी-वार	**रोज़गार सृजन**
श्रेणी-I	3,28,000
श्रेणी-II	3,500
मिलेट आधारित उत्पाद	3,500

* श्रेणी-III (विदेश में ब्रांडिंग और मार्केटिंग) के अंतर्गत, रोज़गार पैदा करने का कोई प्रावधान नहीं है

(ङ): इस योजना के अंतर्गत लगभग 34 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजित की गई है।

वृद्धिशील बिक्री की गणना पात्र उत्पादों की आधार वर्ष बिक्री (चालू वर्ष की बिक्री – (घटाव) आधार वर्ष की बिक्री) के आधार पर की जाती है। वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मानी गई आधार वर्ष बिक्री, वित्त वर्ष 2019-20 की बिक्री है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मानी गई आधार वर्ष बिक्री, वित्त वर्ष 2021-22 की बिक्री है।

पीएलआई पोर्टल पर पीएलआई आवेदकों द्वारा बताई गई त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर, वृद्धिशील बिक्री और निर्यात बिक्री इस प्रकार हैं :

वित्तीय वर्ष	**वृद्धिशील बिक्री (करोड़ रुपये में)**	**निर्यात बिक्री (करोड़ रुपये में)**
वित्त वर्ष 19-20	–	11,112
वित्त वर्ष 20-21	9,431	12,621
वित्त वर्ष 21-22	24,358	17,587
वित्त वर्ष 22-23	38,741	18,942
वित्त वर्ष 23-24	37,220	16,990
वित्त वर्ष 24-25	43,258	18,364
वित्त वर्ष 25-26	25,738	20,933

*उपरोक्त आंकड़े योजना के अंतर्गत पात्र उत्पादों की बिक्री से संबंधित हैं।
